न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –127/2017

उनवान

1. फूलचंद पुत्र स्व0 श्री पांचू
2. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री पांचू
3. श्रीमति कमला पत्नि स्व0 श्री गिरधारी
4. रामफूल पुत्र स्व0 श्री गिरधारी
5. हरि पुत्र स्व0 श्री गिरधारी

समस्त जाति मीना निवासी गुमानपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. घमण्डी पुत्र धर्मपाल
2. राकेश पुत्र धर्मपाल
3. कैलाश पुत्र रामला
4. मीण्डया पुत्र रामला
5. परमादेवी पत्नि घमण्डी
6. घम्मादेवी पत्नि राकेश
7. लाली देवी पत्नि रामभजन

   समस्त जाति मीना निवासी खेडावास तह0 बहरावण्डा जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ।

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषे0 बाबत

वादीगण की ओर से श्री निर्मल कुमार शर्मा एड0

प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामचन्द्र वैष्णव एड0

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

निर्णय **निर्णय दिनांक 25.02.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय वादपत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम गुमानपुरा के रहने वाले है। ग्राम खेडावास में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 282 रकबा 1.27 है0 स्थित है। उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता पांचू व वादी संख्या 3 के पति व वादी संख्या 4 एवं 5 के पिता गिरधारी को आवंटित हुई थी व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में पांचू व गिरधारी का नाम दर्ज है। पांचू व गिरधारी का देहान्त हो चुका है। उनके वारिसान चरण सख्या 1 में वादपत्र में अंकित सजरा अनुसार है। सजरा अनुसार वादीगण मौके पर काबिजकाश्त है व काश्त करके लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त भूमि से दीगर का कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है न ही किसी प्रकार का वास्ता सरोकार है। वादीगण की उक्त वर्णित भूमि में बोई गई फसल को प्रतिवादीगण जबरन नष्ट कर देते है व जानवरों को वादीगण के खेतो में जबरन घुसा कर वादीगण की फसल को नष्ट करवा देते है व वादीगण को येन केन प्रकारेण हैरान परेशान करते रहते है व वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि को जबरन लठ के बल पर कब्जा करने को आमादा रहते है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 29.07.2017 को अचानक प्रतिवादीगण एकराय होकर हाथो में लाठी डण्डे लेकर वादीगण की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि में बिना अधिकारों के प्रवेश कर वादीगण की भूमि में बोई गई फसल को उथेलने लग गये और यह कहा कि हम वादीगण की भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करके रहेगे। वादीगण व आसपास के लोगो ने प्रतिवादीगण को मौके से बमुश्किल से भेजा लेकिन जाते जाते भी वादीगण को प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी देकर गये कि हम तुम्हारी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में जबरन कब्जा करके रहेगे इसलिए बिनायदावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। प्रतिवादीगण अपनी इस नाजायज व बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा वादीगण के जायज व कानूनी अधिकारों का हनन होगा इसलिए वादीगण न्यायालय का सरंक्षण प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए दावा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत डिक्री स्थायी निषे0 इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम खेडावास पंचायत गुमानपुरा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 282 रकबा 1.27 है0 में वादीगण के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से वादीगण को जबरन लठ के बल पर बेदखल कर कब्जा करने से व वादीगण की भूमि में बोई गई फसल को नष्ट करने उथेलने व किसी प्रकार जबरन कब्जा करने से स्वंय प्रतिवादीगण को एवं अपने परिवारजन नौकर चाकर ऐजेन्टान एव हर प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबन्धित रहे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। प्रतिवादीगण को जवाब दावा पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं किया गया इसलिए जवाब हेतु अवसर बंद किया गया। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी गवाह फूलचंद पुत्र पांचूराम पी डब्लू 1, मदनलाल पुत्र श्री पांचूराम पी0 डब्लू 2, उमराव पुत्र श्री प्रभूदयाल पी0 डब्लू 3 पेश किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दावा सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया गया कि विवादित भूमि वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि है जिस

उपखण्ड अधिकारी
सीकराय जिला दौसा

पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि खसरा नंबर 282 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है परन्तु सैटलमेण्ट विभाग द्वारा तरमीम करते समय वादीगण के काबिज काश्त स्थान पर प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 282 की तरमीम कर दी तथा वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 287 की तरमीम अन्यत्र स्थान पर कर दी। प्रतिवादीगण द्वारा सैटलमेण्ट विभाग द्वारा की गई उक्त गलत तरमीम को सही करवाने के लिए न्यायालय हाजा के समक्ष ही वादपत्र लाली देवी बनाम फूलचंद वगै0 मु0न0 139/2017 पेश कर रखा है। इसलिए प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्त है केवल तरमीम गलत दर्ज कर दी गई जिसके संबंध में वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र के अनुतोष में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 282 के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषे0 का अनुतोष चाहा गया है। स्थायी निषे0 अनुतोष हेतु यह आवश्यक है कि वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो, तथा वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त हो। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाए है जिनसे यह साबित होता हो कि वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हो। बल्कि जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या नया 60 पुराना 56 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 एवं 2, 3 विवादित भूमि के खातेदार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या खातेदारी के अभाव में स्थायी निषे0 अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, यह विचारणीय प्रश्न है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाए है जिनसे यह साबित होता हो कि वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त हो। विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा पेश वादपत्र लाली देवी बनाम फूलचंद वगै0 मु0न0 139/2017 का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/2561 दिनांक 29.12.2025 में अंकित किया है कि खसरा नंबर 282, 287 पर वादी व प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर न तो वादीगण काबिज काश्त है न ही प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 282 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार खातेदार नहीं है, यदि विवादित भूमि में उनका कोई हक अधिकार है तो पहले अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाएं। तथा वादीगण विवादित भूमि पर अपना कब्जाकाश्त साबित करने में भी पूर्णतया असफल रहे है। इसलिए वादीगण का वादपत्र बाबत स्थायी निषे0 स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण बाबत स्थायी निषे0 खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा